रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 1975/पौष 18, 1896
No. 13] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 1975/PAUSA 18, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 8th January 1975*

**S.O. 22(E).**—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union territory of Chandigarh shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the Central Government under clauses (b) and (j) of section 2, section 3, sub-section (1) of section 15 and sub-section (1) of section 20, of the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949 (East Punjab Act III of 1949) as modified and extended to the said Union territory by the East Punjab Urban Rent Restriction Act (Extension to Chandigarh) Act, 1974 (Central Act 54 of 1974).

[No. U-11030/9/74-UTL]

K. R. PRABHU, Addl. Secy.

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1975

का० आ० 22(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह निदेश करते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ का प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुये और आगे आदेश होने तक, पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम

(चण्डीगढ़ पर विस्तार) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 54) द्वारा यथा उपान्तरित और उक्त संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम, 1949 (1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 3) की धारा 2 के खण्ड (ख) और (अ), धारा 3, धारा 15 की उपधारा (1) और धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन भी करेगा ।

[सं० यू०-11030/9/74-यू० टी० एल०]

के० आर० प्रभु, अपर सचिव, ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975